राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(   )नियमडीएलबी/15/5361   जयपुर,दिनांकः 15/2/18

अधिसूचना

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण 2018–19 में की गई घोषणा संख्या 254 एवं 256 की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 के अन्तर्गत समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रो में स्थित भूखण्ड/भवनो की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज राशि में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। इस छूट की समय सीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रभावी रहेगी।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार बकाया नगरीय विकास कर जमा कराने पर देय शास्ती मय ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करती है। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.18 से दिनांक 31.12.18 तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की आई.डी. संख्या 101800771 दिनांक 12.02.18 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(   )नियमडीएलबी/15/5362 – 5807   दिनांकः 15/2/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
05. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
06. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0
07. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगरनिगम/परिषद/पालिकायेंसमस्त राज0।
08. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
09. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
10. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\Quyam\5.Adhisuchna.docshahend/Document